

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

दालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

पुत्र मूला आयु करीब 80 वर्ष जाति खटीक निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अराई, जिला अजमेर राज0 वगै.

वादी

## बनाम

2 गुमान सिंह पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीचन्द जाति महाजन निवासी किशनगढ तहसील अराई, जिला अजमेर राज0 वगै.

प्रतिवादी



किरम मुकदमा- 88,188 राज0 का0 अधि0

नंबर 430 / 2020

ऑनलाइन नंबर 2020 / 00426

वकील वादीगण रामदेव जी गुर्जर

वकील प्रतिवादीगण .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
16.12.2020	<p>यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर ने अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान का0 अधिनियम के तहत पेश किया। वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, वकील वादीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 22.12.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   उपखण्ड अधिकारी  अंराई (अजमेर) </p>	
23/12/2020	<p>पत्रावली पेश हुई आज बार एसोसियेशन द्वारा कार्य स्वगत रखा गया। प्रतिवादी स.6 लगायत 12 के तामिलबुदा नोटिस प्राप्त जो शामिल मिसल / प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 के नोटिस तामिल / भद्रम तामिल भयाए। वास्तु तलबी व जवाब प्रतिवादीगण पत्रावली दिनांक 23/12/2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   उपखण्ड अधिकारी  अंराई (अजमेर) </p>	

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

16/11/26 पत्रावली पेश हुई | वकील परशुराम  
उपरो वार्ड साफ नही की | पक्ष  
को काम करना | पत्रावली जारी

28/11/26 दिनांक 28/11/26 को वक्त

उपखण्ड अधिकारी  
अमंद (अजमेर)

मिति

16/11/26

18/10/26

परमपत्र

वाकफत

पत्रावली पेश हुई मात्र ..... वाकफत

की ओर से कार्य स्थगन रखा गया।

पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6/12/26 को

पेश हो।

6/12/26

पत्रावली पेश हुई | वकील परशुराम  
उपरो रिपोर्ट को उपलब्ध न किया गया।  
नए वकील को पत्रावली पेश करा  
है दिनांक 11/12/26 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी

11/12/26

पत्रावली पेश हुई | उपलब्ध फसल डमरू  
रिपोर्ट नए वकील को फाइल फसल डमरू  
की न. न. न. है। आरोप प्रमद  
पत्रावली रिपोर्ट सलग है।

उपखण्ड अधिकारी  
अमंद (अजमेर)

भारत सरकार  
अ. नं. 15  
अ. नं. 15  
अ. नं. 15